

प्रपत्र-2.1

भाग-1।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान - **धराली कुराड मोटर मार्ग के 15.00 km से गुम्मा लगभग केरुड तक लिंक मार्ग का नव निर्माण,**
- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - **उत्तरप्रदेश**
- ii) जिला - **चमोली**
- iii) वन प्रभाग - **बद्रीनाथ वन प्रभाग गौपेश्वर,**
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - **1.825 है०**
- v) वन की कानूनी स्थिति - **अप्रक्षिप्त वन भूमि**
- vi) हरियाली का घनत्व - **0.6**
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफओआरएलए - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए - **प्रस्ताव में संलग्न,**
- viii) भूस्वर्ण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - **प्रस्ताव में भू-गर्भ वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न,**
- ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - **0.50 km**
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) - **नहीं,**
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें। - **नहीं,**
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा राक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या - **नहीं,**
- 8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार सन्तुल क्षेत्र क्या है। - **प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम है,**
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का - **नहीं,**

- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - प्रस्ताव में संलग्न,
  - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। - प्रस्ताव में संलग्न,
  - रोषित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। - प्रस्ताव में संलग्न,
  - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। - प्रस्ताव में संलग्न,
  - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। - प्रस्ताव में संलग्न,
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) - प्रस्ताव में संलग्न,
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र। - 803000 हे०
- जिला का वन क्षेत्र। - 514792 हे०
  - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। - 3091.98 हे० 616 मामलों
  - 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण - 5739.80 हे०
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 31/12/16 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर - 4250.96 हे०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर - 132.71 हे०
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। - जनाहित में संस्तुति दी जाती है,

दिनांक 12/2/2019

स्थान गोपेश्वर,

हस्ताक्षर

नाम (अमित कंवर)

सरकारी मोहर प्रभागीय वन अधिकारी  
ब्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर